

किशोर न्याय बोर्ड

मॉड्यूल
4



विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षर	2
किशोर न्याय बोर्ड	3
सत्र 1: रूपरेखा और गठन	5
सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति	11
सत्र 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में कार्य पद्धति—रोल—प्ले	25
सत्र 4: आगे बढ़ना—कमियों को दूर करना	27
संलग्नक 1: माता—पिता / संरक्षक / उपयुक्त व्यक्ति द्वारा वचन बद्धता प्रारूप	32

संक्षिप्ताक्षर

सी.सी.एल.	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.जे.एम.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सी.एम.एम.	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
सी.एन.सी.पी.	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
सी.आर.पी.सी.	दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
सी.डब्ल्यू.ओ.	बाल कल्याण अधिकारी
सी.डब्ल्यू.पी.ओ.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डी.सी.पी.यू.	ज़िला बाल संरक्षण इकाई
डी.एल.एस.ए.	ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण
जे.जे.ए.एस.टी.	किशोर न्याय अधिनियम
जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
के.ओ.एस.	कर्नाटक विद्यालय मुक्त
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संस्थान
पी.आई.एल.	जनहित याचिका
पी.ओ.	परिवीक्षा अधिकारी
पी.ओ.सी.एस.ओ.	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
एस.आई.आर.	सामाजिक जांच रिपोर्ट
टी.पी.ए.पी.	यातायात पुलिस सहायता कार्यक्रम



समय

4 घण्टे

किशोर न्याय बोर्ड.....



हम अनेकों त्रुटियों और गलतियों के दोषी हैं किन्तु हमारा सबसे बड़ा दोष बच्चों की अनदेखी करना है— जीवन के झरने की उपेक्षा करना है। हमारे लिए जरूरत की अनेकों चीजें इंतजार कर सकती हैं किन्तु बच्चा नहीं। यह वह समय है जब उसकी हड्डियां बन रही हैं, उसका खून विकसित हो रहा है। उसे हम ‘कल’ कहकर उत्तर नहीं दे सकते, उसका नाम ‘आज’ है।



— गैबरिएल मिस्ट्रल

एक दृष्टि

बाल न्याय अधिनियम, अपने अधिकारों के प्रयोग तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की व्यवस्था देता है। इस मॉड्यूल में इस बात पर विस्तार से चर्चा है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन कैसे होता है और जब कोई बच्चा कानून का उल्लंघन करने का आरोपित होकर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब से लेकर केस के अन्तिम फैसले तक किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका क्या है। इस मॉड्यूल में बच्चों द्वारा ऐसे केसों का फैसला करने के उन मुख्य बदलावों पर भी प्रकाश डालता है जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किए गए हैं।

पाठकों/प्रतिभागियों के लिए इस धारा के अंत में कुछ अभ्यास तथा सुगमकर्ता के लिए उन अभ्यासों से जुड़ी हुई टिप्पणी दी गई हैं।



उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- ◆ किशोर न्याय बोर्ड की रूपरेखा क्या है और इसका गठन कैसे होता है।
- ◆ किशोर न्याय बोर्ड की कार्य पद्धति क्या है।
- ◆ किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं।

किशोर न्याय बोर्ड पर वीडियो दिखाने के लिए सुगमकर्ता निम्न लिंक का प्रयोग कर सकते हैं:

<http://haqcrc.org/additional-resources/abyss-documentary-juvenile-justice-act-2015/>

यह सिद्धांत स्पष्ट है कि शक्तियों भी बच्चे को अठारह वर्ष की आयु तक किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से निर्दोष माना जाएगा।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रमुख दायित्वों में से एक दायित्व यह भी है कि बच्चों और नव युवाओं को 'द्वितीयक निवारक, पुनर्वास और सामाजिकीकरण'¹ के साधन के लिए विशेषज्ञता पूर्व निवारक उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करें।

कानून का उल्लंघन करने वाले बालक की परिभाषा-शंकाएं मिटाना

एक बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है और वो कानून का उल्लंघन करने का आरोपित है या शामिल है, को कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा माना जाता है –धारा 2 (13)।

किसी व्यक्ति पर किशोर न्याय अधिनियम लागू होने के लिए संबंधित तिथि वह है जिस दिन अपराध किया गया था। कभी–कभी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति अपराधिक घटना के समय बच्चा था किन्तु बाद में वयस्क हो गया।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 ऐसी स्थितियों से संबंधित है जहां:

1. जांच की अवधि के दौरान बच्चा 18 वर्ष पूरे कर लेता है और
2. एक व्यक्ति, जब वह 18 वर्ष से कम उम्र का था उस समय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।

कानून पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो स्थितियां ऊपर दी गई हैं उनमें व्यक्ति को बच्चा समझकर ही कार्यवाही की जानी चाहिए और जो आदेश पारित किया जाएगा उसमें यह माना जाएगा कि अभी भी वह व्यक्ति बच्चा है भले ही वह वयस्क हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि किसी व्यक्ति या एक बच्चा जो गिरफ्तार होने के समय 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है को किस संस्थान में रखा जाना चाहिए।

किशोर न्याय अधिनियम इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। इसके अनुसार (धारा 49 के तहत) यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति या बच्चा जो 18 वर्ष पूरे होने के बाद गिरफ्तार किया गया हो, के लिए राज्य सरकार को राज्य में कम से कम एक 'सुरक्षा का स्थान' (Place of Safety) स्थापित करना चाहिए जो धारा 41 के तहत पंजीकृत हो और जहां ऐसे व्यक्तियों को रखा जा सके। एक 16 से 18 वर्ष की उम्र का बच्चा जो जघन्य अपराध करने का आरोपित है या दोषी है को भी 'सुरक्षा के स्थान' में रखा जाना चाहिए।

¹ Ved Kumari, The Juvenile Justice in India. From Welfare to Rights. OUP. 2004 p.1

रूपरेखा और गठन



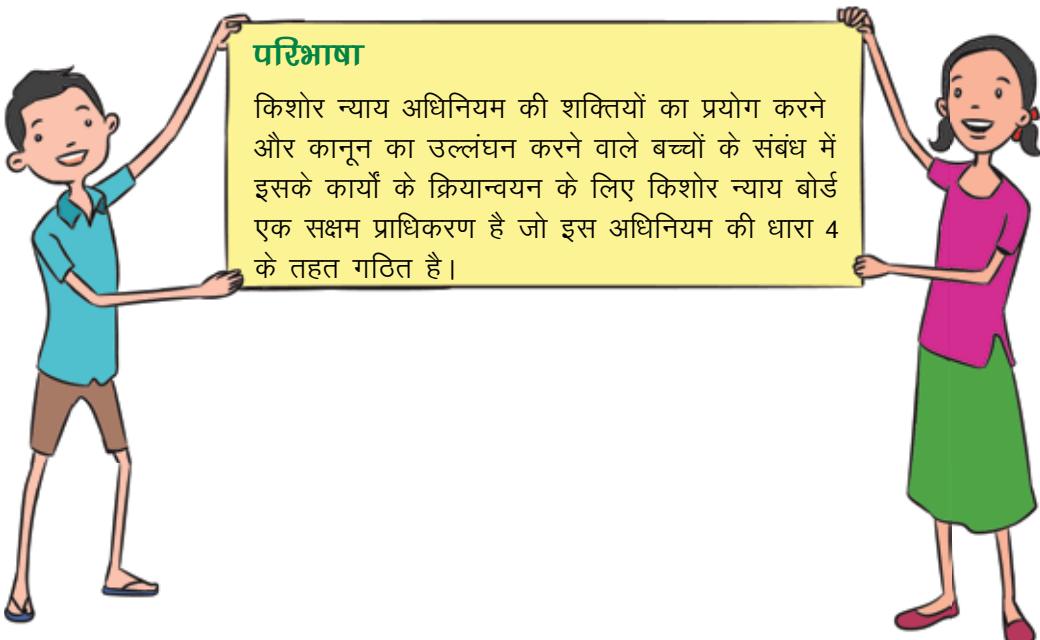
समय

45 मिनट



चरण 1

प्रतिभागियों को किशोर न्याय बोर्ड को परिभाषित करने के लिए कहें। उन्हें अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करें और नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार चर्चा करें:



गतिविधि

प्रतिभागियों को दो समूहों में बांट दें। प्रत्येक समूह आगे दिए गए दो मुद्दों पर कार्य करेगा। समूहों को चर्चा करके मुख्य बिन्दुओं की सूची बनानी होगी और अपने समूह की सूची का प्रस्तुतीकरण करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए बिन्दुओं के आधार पर चर्चा की जाएगी:

समूह 'क'

- ◆ किशोर न्याय बोर्ड की रूपरेखा और गठन
- ◆ बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली कार्य पद्धति

समूह 'ख'

- ◆ किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व
- ◆ अन्य मुख्य उत्तरदायित्व

रूपरेखा और गठन (धारा 4, किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय केन्द्रीय मॉडल अधिनियम, 2016)

- ◆ राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, केसों की संख्या और बकाया केसों की संख्या के आधार पर एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड गठित करेगी जो अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन करेगा।
- ◆ बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट या कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसमें मानवाधिकार या बच्चों के अधिकार का हनन हुआ हो या किसी सार्वजनिक पद से पदच्युत किए गए हों या बाल श्रम/बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में शामिल हों।
- ◆ बोर्ड में दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें से अनिवार्यतः एक महिला होनी चाहिए। उन्हें कम से कम सात वर्ष से स्वास्थ्य, शिक्षा या बच्चों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों में सक्रियता से शामिल होना चाहिए या एक अभ्यासरत विशेषज्ञ जो बच्चों के मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाजशास्त्र या कानून का स्नातक हो।
- ◆ ये तीनों मिलकर एक बैन्च गठित करते हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा महानगरीय मजिस्ट्रेट या जैसा भी केस हो, एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई शक्तियों के अधिकारी होंगे।
- ◆ कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड है या नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और इस तरह के अपराध के संबंध में सजा को रद्द नहीं किया गया है या पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
- ◆ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है या कभी भी बाल शोषण या बाल श्रम के रोजगार या मानव अधिकारों के किसी अन्य उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा हो।
- ◆ प्रधान मजिस्ट्रेट को छोड़कर बोर्ड के किसी भी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच कराने के बाद समाप्त की जा सकती है, यदि वह—
 - (i) इस अधिनियम के तहत निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है या
 - (ii) बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन महीने तक बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है या
 - (iii) एक वर्ष में तीन चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है या
 - (iv) सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उप-धारा (4) के तहत अपात्र हो जाता है।

बोर्ड द्वारा किन कार्य पद्धतियों (Procedures) का पालन किया जाता है? (धारा 7, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- ◆ प्रस्तावित तरीके से बोर्ड को अपनी बैठकें और कार्य करने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सभी कार्य पद्धति बाल मित्रवत हों और स्थान भयभीत करने वाला और नियमित न्यायालय की तरह दिखने वाला न हो।
- ◆ जब बोर्ड की बैठकें न हो रही हों तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को किसी एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ◆ बोर्ड किसी सदस्य की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकता है और मुकदमें के दौरान जारी किया गया कोई भी आदेश केवल इस वजह से अमान्य नहीं किया जा सकता कि मुकदमे की

कार्यवाही के किसी भी समय कोई सदस्य उपस्थिति नहीं थी, बशर्ते कि मुकदमें के अंतिम फैसले के समय या धारा 18 की उप धारा (3) के तहत जिसमें बोर्ड शुरूआती आंकलन के बाद धारा 15 के तहत यह आदेश पारित करता है कि बच्चे का मुकदमा वयस्क की तरह चलाये जाने की आवश्यकता है और बोर्ड ऐसे अपराधों की सुनवाई करने में सक्षम बाल न्यायालय (Children's Court) में मुकदमा स्थानान्तरित करने का आदेश पारित करता है। ऐसे फैसले के समय कम से कम दो सदस्य उपस्थित हों जिसमें मुख्य न्यायाधीश का शामिल होना अनिवार्य है।

- अंतरिम या अंतिम निर्णय के समय अगर बोर्ड के सदस्यों में मतभेद है तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा, जहां इस तरह का बहुमत नहीं है तो मुख्य मजिस्ट्रेट का निर्णय मान्य होगा।



बोर्ड की बैठकें (धारा 6, किशोर न्याय केन्द्रीय मॉडल अधिनियम, 2016)

बोर्ड की बैठकें

- बोर्ड को अपनी कार्यवाही वाली बैठकें, अवलोकन गृह के परिसर में या अवलोकन गृह के समीप या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थान में करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में या यह न्यायालय या कारावास के परिसर में नहीं चलाया जाना चाहिए।
- जब मुकदमा चल रहा हो तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कमरे में न रहे जो केस से जुड़ा न हो।
- कार्यवाही के दौरान केवल उन्हीं व्यक्तियों को वहां रहने दिया जाए जिनकी उपस्थिति में बच्चे सहजता महसूस करते हैं।
- अपनी कार्यवाही वाली बैठकें एक बाल मित्रवत् परिसर में चलानी चाहिए जो किसी भी तरीके से न्यायालय की तरह नहीं दिखना चाहिए और बैठने की व्यवस्था इस तरह रखनी चाहिए कि बोर्ड के सदस्य बच्चे से आमने-सामने होकर बात कर सकें।
- बाल मित्रवत् तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे से बातचीत करते समय शारीरिक भाषा चेहरे के हावभाव, नेत्र-सम्पर्क, आवाज का उतार-चढ़ाव तथा स्वर की प्रबलता आदि बाल मित्रवत् होना चाहिए।
- ऊंचे प्लेटफॉर्म पर न बैठें और बच्चों तथा बोर्ड के बीच में कोई बाधा जैसे गवाहों के लिए लगाए जाने वाले कटघरे या डण्डे आदि नहीं होने चाहिए।



किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व (धारा 8 और 14 किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व क्या हैं?

किशोर न्याय अधिनियम द्वारा बोर्ड के लिए निर्धारित शक्तियां, कार्य तथा उत्तरदायित्व:

- ◆ कार्यवायी की प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चे, माता-पिता या अभिभावक की सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ◆ यह सुनिश्चित करना कि हिरासत में लेने, जांच, पश्चात्‌वर्ती देखभाल और पुनर्वास के दौरान बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जाए।
- ◆ कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थाओं के माध्यम से बच्चे को कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ◆ कार्यवायी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अगर बच्चे की समझ में न आए तो जब भी जरूरत हो उसे दुभाषिया उपलब्ध कराना।
- ◆ परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को बच्चे की सामाजिक जांच करने के लिए निर्देशित करना और बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना ताकि उन स्थितियों को जाना जा सके जिन परिस्थितियों में आरोपित द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है।
- ◆ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के केसों की धारा 16 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेना और निस्तारण करना।
- ◆ कानून का उल्लंघन करने के लिए आरोपित बच्चे को जब भी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो तब ऐसे मामले को बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित करना।
- ◆ मामले पर कार्यवायी करके अन्तिम आदेश पारित करना जिसमें बच्चे के पुनर्वास के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना तथा परिवीक्षा अधिकारी या ज़िला बाल संरक्षण इकाई या गैर सरकारी संस्था के किसी सदस्य द्वारा फॉलोअप योजना भी शामिल हो। जब कोई बच्चा बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया जाता है उस तिथि से चार माह के भीतर जांच की कार्यवायी पूरी कर ली जानी चाहिए। इस अवधि में 2 माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- ◆ जघन्य अपराध के मामले में एक आरम्भिक जांच तीन माह के अन्दर पूरी कर लेनी चाहिए।
- ◆ त्वरित तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें (बॉक्स 1 देखें)
- ◆ छोटे-छोटे अपराधों की जांच दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का पालन करते हुए संक्षिप्त कार्यवायी में निस्तारित कर देना चाहिए।
- ◆ गंभीर अपराधों की जांच का निस्तारण कार्य पद्धति का पालन करते हुए जघन्य अपराधों की जांच:
 - अगर बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का हो तो जांच गंभीर अपराध के अनुसार की जाएगी।
 - अगर बच्चा 16 वर्ष से अधिक उम्र का है तो एक आरम्भिक आंकलन किया जाएगा और अगर बोर्ड यह विचार करता है कि कानूनी



कार्यवायी वयस्क के अनुसार चलायी जाए तो केस को बाल न्यायालय (Children's Court) को स्थानांतरित कर देना चाहिए।

- ◆ अगर आरम्भिक जांच के बाद बोर्ड यह सोचता है कि मामले का निस्तारण बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तब इसमें गंभीर अपराधों में पालन की जाने वाली कार्य पद्धति का पालन किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व

- ◆ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख का माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना और ज़िला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यवायी की संस्तुति भेजना।
- ◆ पुलिस को, शिकायत मिलने पर किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खिलाफ किए गए अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और किसी भी देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के खिलाफ हुए अपराध की समिति द्वारा लिखित रूप से दी गई शिकायत को दर्ज करने का आदेश देना।
- ◆ कारावासों (Jails) का नियमित निरीक्षण करना और यह देखना कि इनमें कोई बच्चा बन्दी तो नहीं है और अगर कोई बच्चा दिखे तो उसे तुरन्त जेल से रिहा कर निगरानी गृह में स्थानांतरित करवाना।
- ◆ उपयुक्त समय की समाप्ति के बाद दोष सिद्ध करने वाले कागजातों को नष्ट करने का आदेश पारित करना।
- ◆ छानबीन के बाद उपयुक्त व्यवित को 'कानून का उल्लंघन' करने वाले बच्चे की देखरेख के लिए घोषित करना।



बॉक्स 1: बोर्ड द्वारा त्वरित तथा निष्पक्ष कार्यवायी करने के चरण (धारा 15, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- जांच शुरू करने के समय बोर्ड यह संतुष्टि करे कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के साथ, पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति जिसमें वकील और परिवेश अधिकारी भी शामिल हैं, द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और अगर कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो सुधारात्मक कदम उठाएं।
- अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवायी, जितना हो सके उतने सहज तथा बाल मित्रवत् वातावरण में की जाए।
- बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बच्चे को सुने जाने का तथा जांच में भागीदारी का अवसर मिले।



बॉक्स 2: किशोर न्याय बोर्ड को बाल मित्रवत् प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए

इनमें शामिल हैं:

- बोर्ड, यदि आवश्यक हो, स्वयंसेवक छात्रों या गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं कानून के उल्लंघन में बच्चे के माता-पिता से संपर्क करने और बच्चे के बारे में प्रासंगिक सामाजिक और पुनर्वास संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए ले सकते हैं {नियम 7 (1)}।
- बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बच्चों के अनुकूल हैं और यह कि बोर्ड की जगह बच्चे को डराने वाली नहीं है और नियमित अदालत के समान नहीं है {धारा 7 (1)}।
- इस अधिनियम के तहत सभी मामलों में, कार्यवाही यथासंभव सरल तरीके से संचालित की जाएगी और जेजेबी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि जिस बच्चे के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बच्चों के अनुकूल माहौल दिया जाए {धारा 14 (5)}।
- बोर्ड बाल मित्रवत् परिसरों में अपनी बैठक आयोजित करेगा {नियम 6 (4)}।
- बोर्ड, बच्चे के साथ संवाद करते समय, अपने आचरण के माध्यम से बाल अनुकूल तकनीकों का उपयोग करेगा और बच्चे को संबोधित करते समय शारीरिक भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के संपर्क, स्वर और आवाज के संबंध में बाल अनुकूल रवैया अपनाएगा। {नियम 6 (5)}।



समय

120 मिनट

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति



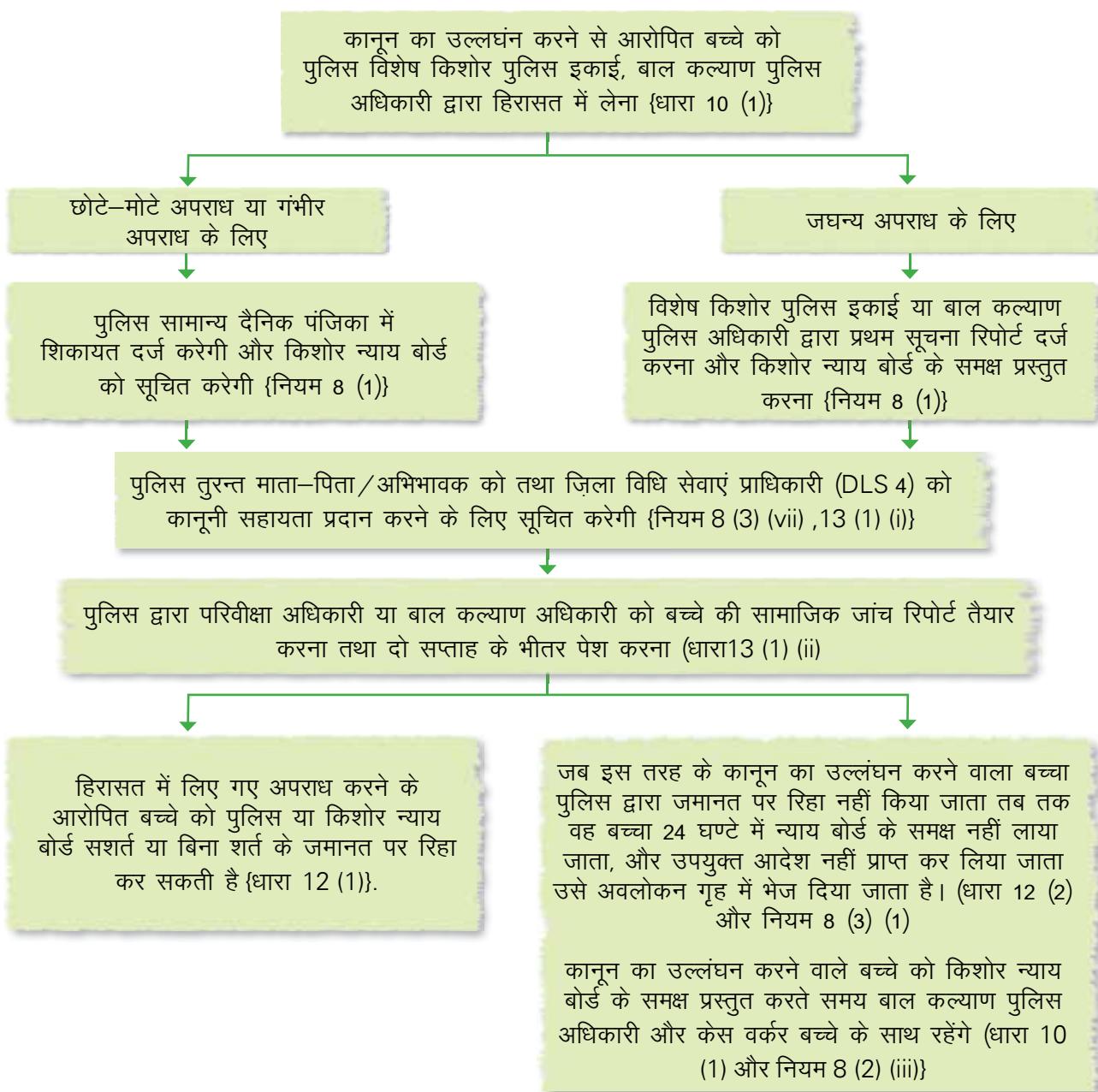
चरण 1: जब शिकायत दर्ज करायी जाती है तब क्या होता है? (धारा 10 और 13)



गतिविधि: पज़्ल गेम

प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांट दें तथा नीचे दिए गए पलो-चार्ट की तीन प्रतियों को टुकड़ों में काटकर एक-एक प्रति के टुकड़े प्रत्येक समूह को दे दें। समूह को पलो-चार्ट पुनः क्रम से लगाने के लिए कहें।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्यवायी का पलो-चार्ट





चरण 2: पुलिस स्टेशन पर कार्य पद्धति (Procedure)



क्या करें (धारा 10 और नियम 8)

- बच्चे को बाल मित्रवत् स्थान / कमरे में ले जाया जाए।
- बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष हिरासत में लेने के 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत करें।
- बाल कल्याण अधिकारी को सादे कपड़े में होना चाहिए, वर्दी में नहीं।
- बच्चे पर किसी तरह का दबाव डालने या जबरदस्ती नहीं करने का निषेध है।
- बच्चे को उसके माता-पिता या अभिभावक के माध्यम से उस पर लगाए गए इल्जामों / आरोपों की जानकारी दें।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बच्चे को दी जानी चाहिए या पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि माता-पिता या अभिभावक को देनी चाहिए।



- बच्चे को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता तथा अन्य कोई सहायता जिसकी बच्चे को आवश्यकता हो, उपलब्ध करवाएं।
- ज़िला विधि सेवा प्राधिकारी (DLSA) को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचित करें।



क्या न करें (धारा 10 और नियम 8)

- कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तब तक दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक बच्चे ने जघन्य अपराध न किया हो या वो जुर्म में वयस्कों के साथ शामिल हो।
- बच्चे को पुलिस लोकअप, पुलिस स्टेशन या वयस्कों के कारावास में नहीं रखा जाए।



- बच्चे को हथकड़ी, बेड़ी या जंजीर में नहीं बांधा जाए।



- बच्चे को किसी भी बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा जाए।
- बच्चे को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं देना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के साथ किसी व्यक्ति की संयुक्त कार्यवायी नहीं चलायी जाएगी।



चरण 3: किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा दाखिल होने के बाद क्या होता है?

जांच चार माह में पूरी कर ली जानी चाहिए, केवल दो माह तक और समय बढ़ाया जा सकता है।



गतिविधि: पज़्जल गेम

पिछले पज़्जल गेम की ही तरह, फ्लो-चार्ट को टुकड़ों में काट दिया जाएगा और समूहों को कटे हुए टुकड़े पुनः व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए दिए जाएंगे।

सभी बच्चों के द्वारा किए गए छोटे-मोटे तथा गंभीर अपराध और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए फ्लो-चार्ट

(धारा 13,14,17,18 और नियम 9,10 और 11)

- (i) किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रथम प्रस्तुति के चार माह के भीतर जांच पूरी करना। जांच की समयावधि केवल दो माह तक बढ़ाई जा सकती है {धारा 14 (2)}
- (ii) धारा 15 के तहत जघन्य अपराध के मामले में बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर एक आरंभिक आंकलन पूर्ण कर लिया जाना चाहिए {धारा 14 (3)}
- (iii) अगर छोटे-मोटे अपराध की जांच बढ़ाए हुए समय में भी पूरी नहीं होती तो कार्यवायी को निरस्त मान लिया जाएगा। गंभीर या जघन्य अपराध की जांच के लिए समयावधि बढ़ाने की अनुमति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (CMM) से ली जानी चाहिए {धारा 14 (4)}
- (iv) छोटे-मोटे अपराध में संक्षिप्त कार्य पद्धति का पालन किया जाएगा और गंभीर या जघन्य अपराध के मामले में सम्मन केस की तरह जांच की कार्यवायी (Trial) चलेगी {धारा 5(डी), (ई), (एफ)}

किशोर न्याय बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट लेता है {धारा 13 (1) (ii)}

अगर बोर्ड को लगे कि उसके समक्ष प्रस्तुत बच्चा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा है तो वह बच्चे को बाल कल्याण समिति को समर्पित कर सकता है {धारा 17 (2)}

जब किशोर न्याय बोर्ड आश्वस्त है कि उसके समक्ष लाए गए बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है तो इसके लिए वह प्रभावी आदेश पारित कर सकता है {धारा 17 (1)}

जब किशोर न्याय बोर्ड जांच के बाद आश्वस्त है कि बच्चे की उम्र भले ही कितनी भी हो उसने छोटा-मोटा/ गंभीर जघन्य अपराध किया है तो वह आदेश पारित कर सकता है {धारा 18 (1)}

- अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि के पुनर्वास के लिए आदेश (धारा 18(1) (जी))
- परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किया गया बच्चे के व्यक्तिगत देखरेख योजना को साथ शामिल करते हुए {नियम 11 (3)}



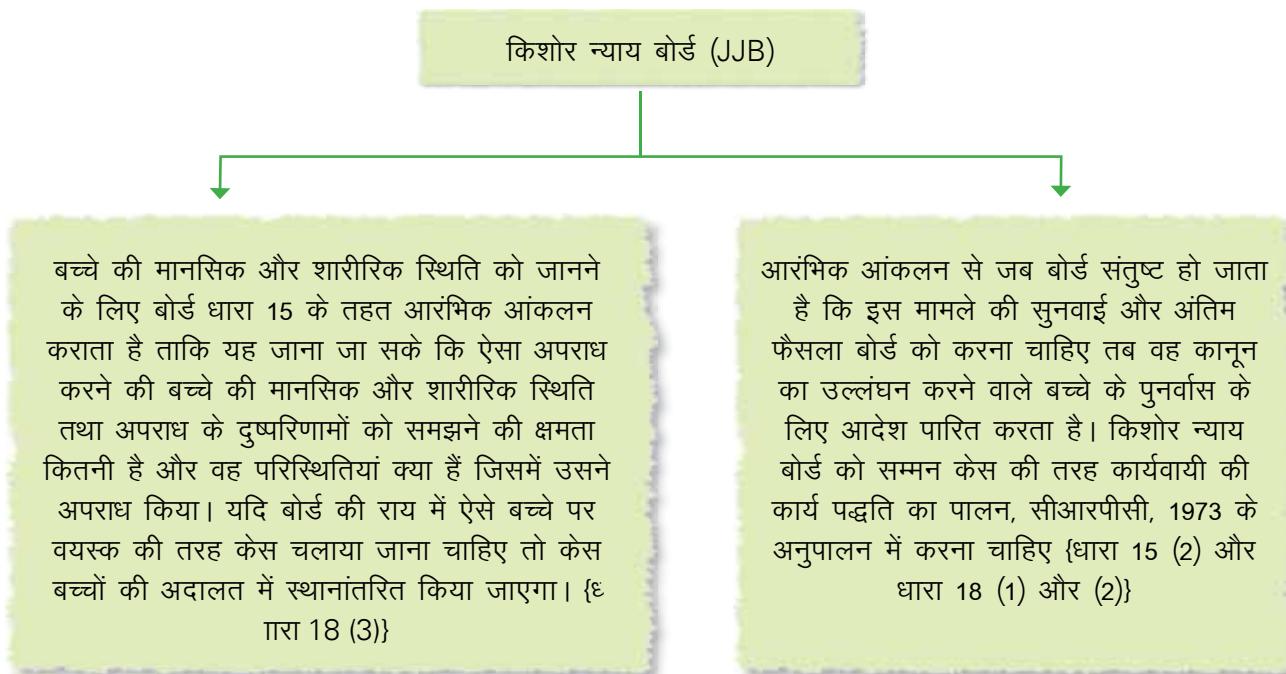
चरण 4: किशोर न्याय बोर्ड की कार्य पद्धति

सभी बच्चों द्वारा किए गए छोटे-मोटे तथा गंभीर अपराध तथा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए जघब्य अपराध के मामले में चरण

(धारा 13,14,17,18 और नियम 9,10 और 11)

कार्यवायी का प्रकार धारा (14 और 15)	<ul style="list-style-type: none"> (i) छोटे-मोटे अपराध : संक्षिप्त कार्यवायी। (ii) गंभीर अपराध : सम्मन केस की तरह कार्यवायी। (iii) जघन्य अपराध : सम्मन केस की तरह कार्यवायी।
आदेश पारित करते समय किशोर न्याय बोर्ड को (धारा 18)	<ul style="list-style-type: none"> (i) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी से सामाजिक रिपोर्ट प्राप्त कर लें। (ii) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना शामिल करें।
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश के प्रकार (धारा 18)	<ul style="list-style-type: none"> (i) सलाह या चेतावनी के बाद घर जाने देना। (ii) समूह परामर्श या ऐसी ही गतिविधियों में शामिल होना। (iii) सामुदायिक सेवा का कार्य करना। (iv) बच्चा या माता-पिता या अभिभावक द्वारा जुर्माना भरना। (v) अच्छे व्यवहार के कारण रिहा होना और माता-पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा में रखना या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार तथा बच्चे की खुशहाली के लिए जमानत सहित या जमानत के बिना जो समय तीन वर्ष से अधिक न हो, इकरारनामा लिखवाना। (vi) अच्छे व्यवहार पर परिवीक्षा पर रिहा होना और किसी उपयुक्त सुविधा की देखरेख तथा निरीक्षण में, अच्छे व्यवहार व बच्चे की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए कितना भी समय जो तीन वर्ष से अधिक न हो, के लिए रखना। (vii) किसी विशेष गृह में रखा जाना, इतने समय के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो ताकि निवास के समय में सुधारात्मक सेवाएं, शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार में बदलाव के लिए चिकित्सा, मनोरोग सहायता दी जा सकें। (viii) उपरोक्त के अलावा किशोर न्याय बोर्ड निम्न आदेश भी पारित कर सकते हैं: <ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल में उपस्थित रहने के लिए या ● व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित रहने के लिए या ● उपचार केन्द्र में उपस्थिति के लिए या ● बच्चे को किसी विशेष स्थान पर जाने या बार-बार रोकने से मना करना या ● नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होना।

16 से 18 वर्ष के कानून का उल्लंघन करने वाले जो जघन्य अपराध के आरोपी हैं, के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की कार्य पद्धति का फ्लो-चार्ट (धारा 14, 15, 19 और नियम 10ए)



गतिविधि: पज़्ल गेम

इस सत्र के शुरू में जो तीन समूह बनाए गए थे, वही तीनों समूह इस बार भी फ्लो-चार्ट पर कार्य करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। फ्लो-चार्ट के काटे हुए टुकड़ों का एक सेट प्रत्येक समूह को दे दें ताकि वे फ्लो-चार्ट को व्यवस्थित रूप से बना सकें।



चरण 5: जब एक 16 से 18 वर्ष का कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जघन्य अपराध करता है तो इसके संबंध में बाल न्यायालय (Children's Court) की कार्य पद्धति का फ्लो-चार्ट

किशोर न्याय बोर्ड के आरंभिक जांच की प्राप्ति के बाद (धारा 15) बाल न्यायालय (Children's Court) निर्णय ले सकता है (धारा 19)

CrCP, 1973 के प्रावधानों के तहत बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए और धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवायी (Trial) के बाद बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को तथा निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धान्त एवं बाल मित्रवत् वातावरण में उपयुक्त आदेश पारित किया जाए। {धारा 19 ((1)(i))}

बच्चे के केस की सुनवाई वयस्कों की तरह की जाने की आवश्यकता नहीं है और किशोर न्याय बोर्ड की तरह जांच करके उपयुक्त आदेश पारित कर दें, धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार। {धारा 19 ((1)(ii))}

न्यायालय (Children's Court) यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के संबंध में अंतिम आदेश में, बच्चे के पुनर्वास के लिए उसकी व्यक्तिगत देखभाल योजना तथा परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता को फॉलो-अप योजना शामिल हो। {धारा 19 (2)}

Children's Court को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस बच्चे को कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया है उसे 'सुरक्षा के स्थान' (Place of Safety) में भेज दिया जाए तब तक के लिए, जब तक की वह 21 वर्ष का न हो जाए। उसके बाद उसे कारावास (Jail) में स्थानान्तरित किया जा सकता है। {धारा 19 (3)}

Children's Court इस बात को सुनिश्चित करें कि परिवीक्षा अधिकारी, या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चे की फॉलो-अप रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि सुरक्षा के स्थान में बच्चे के प्रगति का आंकलन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे के साथ किसी तरह का दुर्घटनाकाल नहीं किया जा रहा है। {धारा 19 (4)}

जैसी आवश्यकता हो, रिपोर्ट को Children's Court को रिकॉर्ड रखने और फॉलो-अप के लिए भेज दिया जाना चाहिए {धारा 19 (5)}

अभिलेखों को नष्ट करना

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सजा के कागजात सुरक्षित तरीके से तब तक रखे जाने चाहिए जब तक कि अपील की तिथि समाप्त न हो जाए या सात वर्ष के समय तक और उसके बाद बोर्ड के प्रभारी या Children's Court द्वारा, जो भी मामला हो, कागजातों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

जघन्य अपराध के मामले में जहाँ बच्चा अधिनियम धारा 19 (1) (i) Clause में दोषी पाया जाता है ऐसे बच्चों के दोषी पाए जाने के अभिलेखों को Children's Court द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए (धारा 14)।



चरण 6: गतिविधि: दिमागी कसरत

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए कम समय तथा लम्बे समय तक इस्तेमाल होने वाले आवासीय संस्थानों के बारे में प्रतिभागियों से पूछें और उसकी सूची बनाने के लिए कहें तथा नीचे दिए गए बिन्दुओं के आधार पर चर्चा करें:

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास में शामिल संस्थान

क. थोड़े समय के आवास के लिए

अवलोकन गृह (Observation Home) (धारा 47)	'अवलोकन गृह' का तात्पर्य है प्रत्येक जिले या जिले के समूहों में, राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संस्था स्थापित और संचालित गृहों से है जो अस्थायी निवास, देखरेख तथा पुनर्वास के उद्देश्य से ऐसे बच्चों के लिए स्थापित किए गए हैं जो कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषारोपित हैं और अधिनियम के अन्तर्गत, किसी भी तरह की जांच के दौरान यहां रखे जाते हैं धारा 2 (47) और धारा 46।
उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) (धारा 51)	'उपयुक्त सुविधा' का तात्पर्य राज्य सरकार यह स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित एक ऐसी सुविधा से है जो इस आशय से स्थापित की गई है कि अस्थायी रूप से किसी बच्चे की जिम्मेदारी किसी विशेष कार्य के लिए ले सके। ऐसी बात की उपयुक्तता की मान्यता जांच के बाद दी जाती है कि वह बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के निर्देश पर ले सके (धारा 2 (27) और धारा 51)
उपयुक्त व्यक्ति (धारा 57)	'उपयुक्त व्यक्ति' का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विशेष कार्य हेतु बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसा व्यक्ति निर्धारित कार्य के लिए जांच के बाद ही चिह्नित किया जाता है जो बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर थोड़े समय के लिए बच्चे की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए निर्धारित समय तक के लिए बच्चे को प्राप्त करता है।

ख. लम्बे समय के आवास के लिए

विशेष गृह (Special Home) (धारा 48)	'विशेष गृह' का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित संस्थान से है जो धारा 48 के तहत पंजीकृत है और कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों के रहने तथा पुनर्वास से संबंधी सेवाएं देने के लिए है जिन्हें जांच के बाद लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाया गया हो व बोर्ड के आदेश से ऐसे संस्थान में भेजा गया हो (धारा 2 (56) और धारा 48) <ul style="list-style-type: none"> बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लम्बी अवधि के निवास के लिए (धारा 18) इसके अन्तर्गत स्कूल में, व्यावसायिक शिक्षा, उपचार केन्द्र, नशा मुक्ति कार्यक्रमों में शामिल होना निहित है।
सुरक्षा का स्थान (Place of Safety) (धारा 48)	'सुरक्षा का स्थान' से तात्पर्य ऐसे स्थान या संस्थान से है जो पुलिस लॉकअप या जेल न हो और जो अलग से या अवलोकन गृह या विशेष गृह से जुड़ा हुआ स्थापित हो, जो भी मामला हो, तथा उसका प्रभारी व्यक्ति बोर्ड या बच्चों की अदालत (Children's Court) के आदेश पर कानून का उल्लंघन करने वाले दोषारोपित बच्चे को सुनवायी के दौरान या दोष साबित होने के बाद पुनर्वास के लिए आदेश में निर्धारित समय तक के लिए बच्चे को रखने और उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो। (धारा 2 (46) और 49) <ul style="list-style-type: none"> बच्चे या किसी व्यक्ति के निवास की सुविधा और व्यवस्था जांच की प्रक्रिया के दौरान और बच्चे या किसी व्यक्ति के अपराध में शामिल होने का दोष सिद्ध हो जाने के बाद। स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा, उपचार केन्द्र, नशा मुक्ति कार्यक्रमों में शामिल होना भी निश्चित है। सुरक्षा का स्थान, वयस्क व्यक्तियों के कारावास के परिसर में नहीं हो सकता।



चरण 7: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में क्या कार्य पद्धति है?

स्थिति का विश्लेषण द्वारा समूह कार्य पहले से ही गठित तीनों समूहों को एक-एक स्थिति दी जाएगी और समूह को इस स्थिति में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से संबंधित कार्य पद्धति की सूची बनानी है।

स्थिति 1



पुलिस ने 16 वर्ष के एक ऐसे बच्चे को हिरासत में लिया है जिसने, उस दुकान से रूपये चोरी किए हैं जहां वह काम करता था।

स्थिति 2



'ना' एक 15 वर्ष का बच्चा है जिस पर, झगड़े के दौरान अपने दोस्त की हत्या करने का आरोप है और पुलिस ने उसे इसी आरोप में गिरफ्तार किया है।

स्थिति 3



'र' एक 17 वर्ष का बच्चा है जो सामूहिक बलात्कार और हत्या का दोषारोपित है।

प्रत्येक समूह को कार्य पूर्ण हो जाने के बाद एक-एक करके प्रस्तुत करने के लिए कहें और नीचे दिए गए विन्दुओं के आधार पर चर्चा करें:

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को हिंदासत में लेना (धारा 10, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

- जब एक बच्चा कानून के उल्लंघन का दोषारोपित होने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घण्टे के भीतर बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बोर्ड की बैठक अगर न चल रही हो तो बच्चे को इनके निवास स्थान पर भी इनके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

कानून का उल्लंघन करने के लिए आरोपित बच्चे की जमानत (धारा 12, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

- एक बच्चा जो जमानती या गैर जमानती अपराध के लिए आरोपित है और बोर्ड के समक्ष लाया गया है उसे सशर्त या बिना शर्त के जमानत पर रिहा कर दिया जाए या अवलोकन गृह में परिवीक्षा अधिकारी के निरीक्षण में या सुरक्षा के स्थान या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखा जाए।
- अगर ऐसे पर्याप्त कारण हों जिससे बोर्ड को यह विश्वास हो कि रिहा करने पर उस बच्चे का किसी शातिर मुजरिम से संबंध बन सकता है या व्यक्ति को नैतिक, या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो सकता है या बच्चे को रिहा करने से निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा तो बोर्ड को जमानत देने से इन्कार करने के कारणों तथा परिस्थितियों को दर्ज (Record) करते हुए बच्चे की ज़मानत मना कर सकता है।
- जब बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता तो बोर्ड एक आदेश पारित करे जिसके द्वारा अवलोकन गृह या सुरक्षा के स्थान पर उतने समय के लिए जितने समय तक जांच की प्रक्रिया चलेगी, बच्चे को रखने का आदेश दिया गया हो।
- जब कानून का उल्लंघन करने का आरोपित बच्चा, जमानत के आदेश के सात दिनों के अन्दर जमानत के आदेश की शर्त पूरी नहीं कर पाता, ऐसे बच्चे को जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जब कोई बच्चा जमानत पर रिहा किया जाएगा तो कोई बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच (धारा 14, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

- कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे के मामले में इस अधिनियम में दिए प्रावधानों के तहत बोर्ड जांच करेगा, और बच्चे के बारे में ऐसा आदेश पारित करेगा जो उसे उपयुक्त लगेगा।
- बच्चे की बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के चार माह के अन्दर जांच पूरी कर ली जानी चाहिए। जांच की अवधि अधिकतम दो माह तक बोर्ड द्वारा और बढ़ाई जा सकती है।

छोटे-मोटे अपराध

- सीआरपीसी 1973 के अनुसार छोटे-मोटे अपराधों का निर्णय संक्षिप्त कार्यवायी में लिया जाएगा।
- बोर्ड बच्चे को अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है।
- अगर छोटे-मोटे अपराधों का फैसला, बढ़ाए गए समय में भी नहीं होता है तो कार्यवायी निरस्त हो जाएगी।

गंभीर या जघन्य अपराध

1. गंभीर अपराध की जांच, सीआरपीसी, 1973 के तहत सम्मन केस की सुनवाई की तरह पूरी की जाएगी।
2. अपराध के समय 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किए गए जघन्य अपराध की जांच का अंतिम फैसला बोर्ड द्वारा सीआरपीसी, 1973 के अनुसार, सम्मन केस की सुनवाई द्वारा की जाएगी।
3. जघन्य अपराध के मामले में आरोपित बच्चा जिसने घटना के समय 16 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है या इससे अधिक उम्र का है, तो बोर्ड एक आरंभिक आंकलन यह समझने के लिए करेगा कि ऐसा अपराध करने की उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, अपराध के दुष्परिणामों को समझने की क्षमता कितनी है और वह स्थितियां क्या थीं जिसमें उसने ऐसा अपराध किया और उसके बाद आदेश पारित कर सकता है (धारा 18 (3) किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप):
 - ◆ यह कि इस बच्चे के केस की सुनवाई वयस्क व्यक्ति के समान होगी और बोर्ड सुनवाई के लिए केस को बच्चों के न्यायालय (Children's Court) जो ऐसे केसों की सुनवाई कर सकता है, में स्थानान्तरण का आदेश पारित कर सकता है।
 - ◆ ऐसे आंकलन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।
 - ◆ आरंभिक आंकलन सुनवाई (Trial) नहीं है बल्कि वह बच्चे की क्षमता का आंकलन करने के लिए है कि ऐसे अपराध करने और उसके दुष्परिणामों को समझने की उसकी क्षमता कितनी है।
4. जब बोर्ड आरंभिक जांच द्वारा इस बात से संतुष्ट हो कि मामले पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तब बोर्ड द्वारा सीआरपीसी, 1973 के प्रावधानों के अनुसार केस की सम्मन केस की तरह सुनवाई करके निर्णय लिया जाएगा।
5. जघन्य अपराध के मामले में आरंभिक जांच बोर्ड द्वारा बच्चे की बोर्ड के समक्ष पहली प्रस्तुति से तीन माह के भीतर पूरा किया जाएगा।
6. गंभीर और जघन्य अपराध के मामले में अगर बोर्ड जांच के लिए समय बढ़वाना चाहता है तो मुख्य नागरिक मजिस्ट्रेट या जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप से कारण दर्ज करके उसकी मंजूरी दी जाएगी।

अपराधों का वर्गीकरण और उसके लिए निर्दिष्ट न्यायालय (धारा 86, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

- ◆ जब किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की सजा तीन वर्ष या इससे अधिक के कारावास किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो तो ऐसा अपराध संज्ञेय, गैर जमानती हो तो इसकी सुनवाई (Trial) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए।



- ◆ जबकि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की सजा तीन वर्ष से कम समय के कारावास की हो या केवल जुर्माना हो तब ऐसा अपराध संज्ञेय नहीं होगा, जमानती होगा और इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति का स्थापन जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बाल्यावस्था की उम्र पार कर लेता है (धारा 5, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

- जांच की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चा 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तब यद्यपि इस अधिनियम या लागू किसी कानून में कुछ नहीं है, जांच की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है और आदेश इस तरह से किए जा सकते हैं जैसे वह व्यक्ति अभी भी बच्चा है।

ऐसे व्यक्ति का स्थापन जिसने जब अपराध किया हो तब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो

- कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उसे ऐसे अपराध के लिए हिरासत में लिया गया है जो उसने तब किया था उसकी उम्र जब 18 वर्ष से कम उम्र का था, तब ऐसे व्यक्ति से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार जांच की प्रक्रिया के दौरान एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाएगा।
- इस व्यक्ति को अगर बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के स्थान पर रखा जाएगा और इस अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार उसकी व्यवस्था की जाएगी।



चरण 8: गतिविधि: समूह कार्य

पिछले समूह कार्य में 'सु', 'ना' और 'र' की स्थिति का विश्लेषण करते समय यह साबित हो गया कि उन्होंने अपराध किया था। अब समूह आंतरिक रूप से यह चर्चा करेगा कि उनके लिए क्या आदेश पारित किए जाने चाहिए और समूह अपने अवलोकनों तथा बिन्दुओं को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए बिन्दुओं के आधार पर चर्चा की जाएगी:

बच्चे के कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर किए जाने वाले आदेश (धारा 18, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

जब बोर्ड जांच द्वारा इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी उम्र के बच्चे ने छोटा-मोटा अपराध (Petty Offence) या गंभीर अपराध किया है या एक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने जघन्य अपराध किया है तब अपराध की प्रकृति, निरीक्षण और हस्तक्षेप की विशिष्ट जरूरतों, परिस्थितियों जो सामाजिक जांच रिपोर्ट से प्राप्त हुई तथा बच्चे के पूर्व के आचरण के आधार पर बोर्ड अगर उचित समझता है तो:

- उपयुक्त जांच और बच्चे तथा उसके माता-पिता या अभिभावक को परामर्श देने के बाद सलाह या चेतावनी देकर घर जाने की अनुमति दे सकता है।
- बच्चे को समूह परामर्श या इससे मिलती-जुलती गतिविधियों में भाग लेने का निर्देश दे सकता है।
- किसी संस्थान या किसी विशेष व्यक्ति, बोर्ड द्वारा चिह्नित लोगों के समूह के निरीक्षण में सामुदायिक कार्य करने का आदेश दे सकता है।
- बच्चे, उसके माता-पिता या उसके अभिभावक को जुर्माना देने का आदेश दे सकता है।
- बच्चे को अच्छे आचरण की परिवेश पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है और किसी भी माता-पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जा सकता है या ऐसे माता-पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा जो बच्चे के अच्छे व्यवहार और खुशहाली का सशर्त या बिना शर्त के इकरारनामा (जैसा बोर्ड चाहे) देंगे। यह इकरारनामा तीन वर्ष या उससे कम समय का होगा।



6. बच्चे को अच्छे आचरण की परिवेक्षा पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है और किसी उपयुक्त सुविधा की देखरेख निरीक्षण में रख सकता है ताकि बच्चे का अच्छा व्यवहार और खुशहाली सुनिश्चित हो सके, इसकी समयावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. बच्चे को तीन वर्ष से कम समय के लिए, जो उपयुक्त समझे विशेष गृह भेजने का निर्देश दे सकता है ताकि सुधारात्मक सेवाएं, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार में सुधार की चिकित्सा और मनोचिकित्सा सहायता शामिल है, विशेष गृह में निवास के दौरान दी जा सके।

अगर बच्चे का आचरण और व्यवहार ऐसा रहा है जो बच्चे के हित में नहीं है या विशेष गृह में रह रहे अन्य बच्चों के हित में नहीं है तो बोर्ड ऐसे बच्चे को सुरक्षा के स्थान में भेज सकता है।

अगर दिए गए 2 से 7 तरह के आदेशों के अतिरिक्त बोर्ड अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जैसे कि:

- ◆ बच्चा स्कूल जाए या
- ◆ व्यावसायिक प्रशिक्षण में शामिल हो या
- ◆ चिकित्सा केन्द्र में उपस्थित रहे या
- ◆ बच्चे को कहीं जाने, बार-बार किसी विशेष स्थान पर दिखने से मना किया जा सकता है या
- ◆ नशा-मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होना

जिस बच्चे ने कानून का उल्लंघन नहीं किया उससे संबंधित आदेश (धारा 17, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

- ◆ जांच के बाद जब बोर्ड आश्वस्त हो कि उसके समक्ष लाए गए बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है तब उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ विपरीत होने पर भी, बोर्ड तत्काल प्रभाव से आदेश पारित कर सकता है।
- ◆ अगर बोर्ड को यह लगता है कि बच्चे को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह उपयुक्त निर्देशों के साथ बच्चे को समिति के पास संदर्भित कर सकता है।

बच्चे की उम्र का अनुमान और निर्धारण (धारा 94, किशोर व्याय अधिनियम 2015)

अधिनियम के किसी भी उप-बन्ध के अंतर्गत (साक्ष्य देने के अलावा) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति के दिखने और बताए जाने पर बोर्ड को ऐसे अवलोकन दर्ज करते हुए बच्चे की जितना सम्भव हो सके नज़दीकी उम्र दर्ज करनी चाहिए तथा अपनी जांच (कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए धारा 14 के तहत या देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए धारा 36 के तहत जैसा भी केस हो), उम्र के निर्धारण का इंतजार किए बिना जारी रखनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में जब पर्याप्त कारणों से बोर्ड के समक्ष लाए गए व्यक्ति के बारे में बोर्ड को यह शंका हो कि वह व्यक्ति बच्चा है या नहीं है तो समिति या बोर्ड, जो भी मामला हो, को उम्र निर्धारण की प्रक्रिया निम्न साक्ष्य लेकर पूरी करनी चाहिए:

- ◆ विद्यालय का जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र या हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का संबंधित बोर्ड का प्रमाण-पत्र अगर उपलब्ध हो, इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में,
- ◆ निगर निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र और
- ◆ ऊपर के पहले और दूसरे प्रकार के जन्म प्रमाण-पत्रों के अभाव में उम्र का निर्धारण अस्थिरिकास जांच या अन्य किसी नवीन चिकित्सीय जांच के द्वारा, बोर्ड के आदेश पर किया जाएगा।

बशर्ते कि बोर्ड के आदेश पर इस तरह की उम्र निर्धारण की जांच, आदेश की तिथि के 15 दिनों

के अन्दर पूरी कर ली जाए। बोर्ड के समक्ष लाए गए व्यक्ति की बोर्ड द्वारा दर्ज की गई उम्र, इस अधिनियम के लिए व्यक्ति की सही उम्र मानी जाएगी।

बच्चे के निवास स्थान पर बच्चे का स्थानान्तरण (धारा 95, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

अगर जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बच्चा बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर का रहने वाला है और जांच के बाद बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे का स्थानान्तरण उसके हित में है और बच्चे के गृह जनपद के बोर्ड से विचार-विमर्श करके, निर्धारित कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए संबंधित कागजातों के साथ, बच्चे को गृह जनपद जल्द से जल्द स्थानांतरित करने का आदेश बोर्ड पारित करेगा।



कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का स्थानांतरण तभी किया जा सकता है, जब जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो और बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया हो।

अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण के समय अगर सम्भव हो तो बच्चे को उसके गृह जनपद के बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए या गृह जिले के राज्य की राजधानी के बोर्ड को बच्चा सौंपना चाहिए।

जब स्थानांतरण का निर्णय ले लिया जाए, तब जैसा भी मामला हो, बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चे के अनुरक्षक आदेश (Escort Order) देगा जिसका अनुपालन ऐसा आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।

एक लड़की के साथ महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है।

जहां पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं है तब बोर्ड को उस संस्थान को निर्देश देना चाहिए जहां बच्चा अस्थायी रूप से रह रहा है या ज़िला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को यात्रा के दौरान अनुरक्षण दिया जाए।



स्थानांतरित बच्चे को प्राप्त करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड बच्चे के पुनर्स्थापन या पुनर्वास या सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संस्थानों और कारावास का निरीक्षण

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की आवासीय सुविधा का प्रत्येक माह कम से कम एक बार निरीक्षण करना और ज़िला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जाने योग्य कार्यों की संस्तुति देना।

वयस्कों के लिए बनाए गए कारावास का नियमित निरीक्षण करना ताकि यह देख सकें कि ऐसे कारावास में कोई बच्चा तो नहीं रखा गया है और अगर ऐसा हो तो बच्चे को तुरन्त अवलोकन गृह में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाना।



किशोर व्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए बच्चों के संबंध में किशोर व्याय बोर्ड के अध्य कार्य

- ◆ अगर जांच के दौरान किसी भी स्तर पर, कमेटी या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि बच्चे की जांच के लिए बच्चे की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तो समिति या बोर्ड बच्चे की उपस्थिति में छूट दे सकते हैं और उसे बयान दर्ज करने तक ही सीमित कर सकते हैं।
- ◆ अगर बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रसित पाया जाता है जिसके लिए लम्बे उपचार की जरूरत है या शारीरिक या मानसिक परेशानी है जिसके लिए उपचार की जरूरत है तो बोर्ड बच्चे को आवश्यक इलाज के लिए चिन्हित किसी भी उपयुक्त सुविधा में भेज सकता है।
- ◆ बोर्ड किसी भी बच्चे को अनुपस्थिति के लिए अवकाश दे सकता है और यह अनुमति दे सकता है कि विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, रिश्तेदार की शादी, किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु या दुर्घटना या माता-पिता की गंभीर बीमारी या आपातकालीन जैसे प्रकृति आदि में शामिल हो सके। यह अवकाश एक बार में सामान्यतः यात्रा के समय को छोड़कर सात दिन से अधिक का नहीं होगा।
- ◆ प्रत्येक तीन माह पर की गई समीक्षा के आधार पर विचाराधीन मामलों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर बोर्ड बैठकों (सत्रों) की संख्या बढ़ा सकता है।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में कार्य पद्धति-रोल-प्ले



समय

45 मिनट



चरण 1: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में कार्य पद्धति-रोल-प्ले



सुगमकर्ता के लिए टिप्पणी: रोल-प्ले का उद्देश्य किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका और उसकी सामाजिक भूमिका को उजागर करना है। किशोर न्याय बोर्ड प्रमुख में मजिस्ट्रेट का पद सबसे ऊँचा होता है इसलिए अक्सर कानूनी पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता उतने सशक्त नहीं होते हैं, इसलिए अक्सर उनकी बात सुनी नहीं जाती।

रोल-प्ले को दो भागों में बांट दें; भाग अ तथा ब और देखें कि कहानी में बदलाव आने पर क्या प्रतिभागियों के विचारों में बदलाव आता है। प्रतिभागियों को रोल-प्ले करने का निर्देश दें और कहानी में जो किशोर न्याय बोर्ड की जो भूमिका है उसे दर्शाएं।



प्रक्रिया

नीचे दी गई स्थिति के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाईयों (Proceeding's) पर रोल-प्ले करने के लिए कहें। अभिनय किए गए रोल-प्ले में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाईयों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करें।



रोल-प्ले

भाग-अ

- ‘चे’ एक 17 वर्ष का अनाथ बच्चा है। वह पुलिस द्वारा बोर्ड के समक्ष हत्या के आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- ‘सू’ 17 वर्ष का है और किराना की दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया है।

भाग-ख

- ‘चे’ सङ्क की फुटपाथ पर अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। वह अपनी बहन की रक्षा एक यौन शोषण करने वाले व्यक्ति से कर रहा था, अनजाने में उससे हत्या हो गई।
- ‘सू’ पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है और एक गैंग में रहता है।



रोल-प्ले का समाहार करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी

शुरुआती प्रतिक्रिया 'चे' को कठोरतम सजा और 'सू' को कोई सजा नहीं होगी। हालांकि तैयार किए गए रोल-प्ले में दोनों बच्चों की पृष्ठभूमि ज्यादा स्पष्ट है तथा उनके अपराध करने की परिस्थितियां भी दिख रही हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सजा देने से पहले किसी भी व्यक्ति को बहुत सारे कारकों पर ध्यान देना होगा। इन दो केसों में पहला स्पष्ट रूप से आत्म रक्षा के लिए है और यह भी दिख रहा है कि बच्चा अपराधी या अपराधी मानसिकता का नहीं है। हालांकि दूसरा बच्चा स्पष्ट रूप से अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ है और अगर उसे सुधारने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब वह गंभीर अपराध भी करने लगेगा। तो पहले जो सोचा गया केवल एक चेतावनी और रिहाई का मामला है, किन्तु वास्तव में इसमें इससे अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, सम्भवतः उसे रखकर सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यह दोनों स्थितियां और इन्हीं के समान दूसरे मामले, सामाजिक पृष्ठभूमि जांच रिपोर्ट के महत्व को दर्शाते हैं और किशोर न्याय बोर्ड किए गए अपराध की गंभीरता को देखकर पक्षपात न करें।



चरण 2: कानून में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि किशोर-न्याय बोर्ड के सदस्य कानून पर संवेदित किए जाएं²

धारा 4 (5) के तहत, राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाया गया है कि नियुक्ति तिथि के 60 दिनों के भीतर बोर्ड के सभी सदस्यों, जिसमें बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट भी शामिल हों, को बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, कानूनी प्रावधान और न्याय पर इन्डक्शन प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण कराया जाए। इसके आगे नियम 89 के तहत राज्य सरकारों को सभी हितधारकों के लिए जिसमें किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी शामिल हों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिसमें उन्हें न्याय अधिनियम 2015 के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

किसी एक स्वयंसेवी को नीचे दी गई पंक्तियां जोर से पढ़ने के लिए बुलाएं:

जब प्राचीन चीन के निवासियों ने शान्ति से रहने का निर्णय लिया तब उन्होंने चीन की महान दीवार बनवाई। उसके बनने के 100 वर्षों के भीतर उन पर तीन बार आक्रमण किया गया। आक्रमणकारियों ने कभी भी दीवार नहीं छढ़ी, उन्होंने पहरेदारों को घूस दी और वे दरवाजों से आए। चीनियों ने दीवार तो बनवाई किन्तु अपने पहरेदारों के चरित्र का निर्माण भूल गए, इसलिए व्यक्ति का चरित्र निर्माण हर प्रकार के निर्माण से पहले आता है। अगर आप किसी देश की सभ्यता को गिराना चाहते हैं तो उसके तीन तरीके हैं: परिवारिक ढांचे को नष्ट कर दें, शिक्षा को नष्ट कर दें, आदर्शों और संदर्भों को नीचे कर दें।

प्रतिभागियों से पूछें कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका से संबंधित क्या सीख आप सभी पढ़ी जाने वाली पंक्तियों से निकाल पाए हैं? समानुभूति, टीमवर्क, बच्चों से बात करना, सक्रिय रूप से सुनना, समन्वय तथा संप्रेषण पर प्रकाश डालें। इसकी बेहतर समझ के लिए स्मार्ट किट में दिए सुगमकर्ता मार्गदर्शिका को पढ़ने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित करें।

² <https://satyarathi.org.in/assets/pdf/FAQ's%20on%20JJB.pdf>



समय

30 मिनट

आगे बढ़ना-कमियों को दूर करना

किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों से संबंधित व्यापक मामलों की आच्छादित करता है तथा अन्य कानूनों को काटता भी है, इसलिए यह भी आवश्यक है कि हम जानें कि ऐसे अनेकों योजनाएं और कार्यक्रम हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर वर्ग के बच्चों के अधिकार का हनन, विभिन्न स्तरों (पंचायत, ब्लॉक और ज़िला) पर न हो तथा किशोर न्याय अधिनियम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके।



चरण 1: नीचे दिया गया मामला इस बात को दर्शाता है कि किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और ज़िला बाल संरक्षण इकाई ने कैसे नज़दीकी समन्वय से कार्य किया है और बच्चे का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया है:

केस स्टडी

14 वर्ष की 'सु', चोरी करने के जुर्म में एक गैंग के साथ पकड़ी गई। जब वह पकड़ी गई उस समय वह पांच माह की गर्भवती थी। किशोर न्याय बोर्ड ने जांच करवायी और यह निर्णय लिया कि 'सु' के साथ एक देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और बोर्ड ने उसी जिले के बाल कल्याण समिति में 'सु' को भेजने का आदेश पारित किया। बाल कल्याण समिति ने सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया कि उसे गृह जनपद भेजना उसके हित में नहीं है क्योंकि उसका चाचा जो उसका अभिभावक है, ने न केवल



उसे चोरी करने के लिए गैंग में शामिल कराया बल्कि उसने 'सु' का यौन शोषण भी किया जिसके कारण वह अभी गर्भवती है इसलिए 'सु' को बाल गृह में रखा गया। बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय अधिनियम के धारा 30 के तरह प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'सु' के चाचा पर पॉक्सो एकट के तहत यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। समिति ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चे को अपराध करने तथा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल करने के संबंध में, 'सु' के चाचा पर एक और केस दर्ज कराया। चूंकि 'सु' का गर्भपात करना असुरक्षित था इसलिए बाल कल्याण समिति तथा जिस बाल गृह में वह रखी गई थी उस बाल गृह ने उसे पूरी गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चा पैदा करने में उसकी पूरी मदद की। किशोर न्याय अधिनियम में निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार बच्चे को दत्तक-ग्रहण (Adoption) के लिए रखा गया। 'सु' ने बाल गृह में रहना जारी रखा, उसकी जरूरतों को देखते हुए बनाए गए उसकी व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार उसे सेवाएं दी जा रही हैं और उसे उपलब्ध सरकारी स्कीमों से जोड़ा गया है। ज़िला बाल संरक्षण इकाई की परमदाता ने उसे आवश्यक मनो सामाजिक सहायता उपलब्ध करायी ताकि जो आधात उसे लगा है उससे उबर सके। ज़िला बाल संरक्षण इकाई के कानूनी सह परिवीक्षा अधिकारी उन केसों की निगरानी करते हैं जो उसके चाचा पर दर्ज गए हैं ताकि 'सु' को न्याय मिल सके।



सुगमकर्ता के लिए टिप्पणी: प्रतिभागियों को ऐसी और घटनाओं को साझा करने के लिए प्रेरित करें जहां उन्होंने बच्चे का 'सर्वोत्तम हित' का ध्यान रखते हुए देखा है।

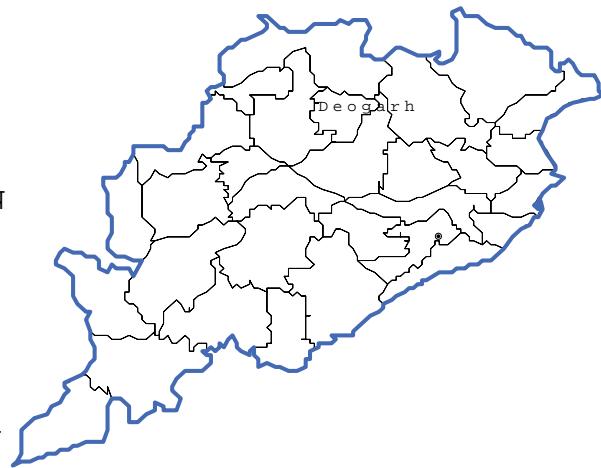
बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में मदद करने वाले मुख्य कार्यक्रम

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
2. मिशन वात्सल्य
3. दीन दायाल पुनर्वास योजना
4. जननी सुरक्षा योजना
5. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
6. मध्यान्ह भोजन
7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
9. राष्ट्रीय पोषण मिशन
10. समेकित बाल विकास सेवाएं (सबला और किशोरी शक्ति योजना सहित)
11. मातृत्व लाभ योजना (मातृत्व सहयोग योजना)
12. राष्ट्रीय ग्रामीण/शहरी पेयजल मिशन
13. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
14. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
16. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
17. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
18. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
19. राष्ट्रीय क्रेच योजना
20. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
21. सर्व शिक्षा अभियान
22. स्वच्छ भारत मिशन
23. स्कॉलरशिप योजनाएं
24. नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत योजनाएं
25. उज्जवला
26. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण फण्ड
27. राष्ट्रीय खेल मैदान का भारतीय संघ
28. शहरी खेल-कूद के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहयता योजना

कुछ अच्छे अभ्यासों के उदाहरण

देवघर (ओडिशा) का उदाहरण:

संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग ओडिशा के देवघर ज़िला में मजिस्ट्रेट ने यह पहल की कि एक ही बिल्डिंग में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति तथा ज़िला बाल संरक्षण समिति के कार्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की और इस कार्य को पूरा किया। यह ज़िले में बाल संरक्षण से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाएं देने का एक एकल स्थान बन गया है। इससे इन तीनों संस्थाओं की दृश्यता बढ़ गई है और बाल अधिकार उल्लंघन के किसी भी मामले में त्वरित कार्यवायी हो रही है और तीनों संस्थाओं में आपसी समन्वय बेहतर रहता है तथा संसाधनों का अभिसरण (Convergence) बेहतर हो गया है।



दिल्ली के उच्च न्यायालय का निर्देश- किशोर न्याय तंत्र को जन्म पंजीकरण से जोड़ना

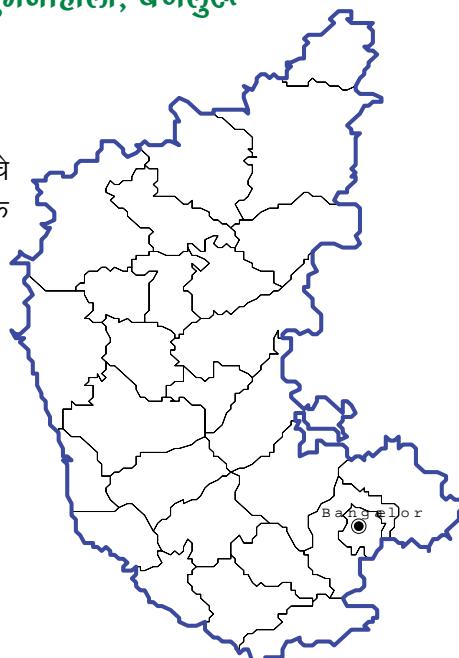
सूचना के अधिकार के तहत 'हक' जो कि एक बाल अधिकार केन्द्र है के आवेदन पत्र पर तिहाड़ ज़ेल में बन्द बच्चों के आंकड़ों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका शुरू की ताकि मामले को गहराई से देखा जाए उसे सुधारा जाए और संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त दिशानिर्देश दिए जाएं।



राजधानी में और भारत के अन्य राज्यों के करोड़ों वंचित बच्चों के नतीजों तक पहुंचने के एक कदम के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जन्म पंजीकरण प्रणाली को किशोर न्याय प्रशासन प्रणाली से लिंक कर दिया। इसके होने से जब बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा एक बार जब बच्चे की उम्र निर्धारित हो जाएगी तो बच्चे के लिए जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश देना होगा जिससे कि यह उनके भविष्य के लिए जन्म उनकी उम्र का साक्ष्य बन जाए (Court on its Own Motion Vs Department of Women and Child Development (WP (C) 8889/2011)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए राज्य विशेष गृह सुमनाहाली, बैंगलुरु

भारत में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए चलाया जा रहा ईको (ECHO) विशेष गृह, पहला विशेष गृह है जो स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। यह बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान देकर उनके समग्र विकास को लक्ष्य बनाता है जिससे बच्चे एक बेहतर इंसान बनते हैं और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, व्यावसायिक और कृषि से जुड़े कौशल सीखते हैं।



यहां पर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को मुख धारा से जोड़ने के लिए दी जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं:

- **जीवन का अभियुक्तीकरण:** मनो-सामाजिक बेहतरी के लिए नियमित संचालित किया जाता है।
- **व्यवसायिक मार्गदर्शन:** समाज को सकारात्मक योगदान देने के लिए बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है।
- **व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम:** बच्चों को अपनी कार्य करने की क्षमता बढ़ाने तथा नागरिकता की भावना विकसित करने के लिए सक्षम बनाना।

- ◆ **योग और ध्यान लगाना:** क्रोधी स्वभाव में बदलाव तथा सुधार लाने के लिए
- ◆ **परामर्श और सलाह:** मनोवैज्ञानिक मुद्दों के समाधान के लिए संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से चिकित्सीय उपचार
- ◆ **औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा:** प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर KOS (Karnataka Open School) में 10वीं (बोर्ड) की परीक्षा के अलावा कुछ बच्चे बैंगलुरु की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्स में भी शामिल होते हैं।
- ◆ **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** जैसे कम्प्यूटर, कृषि, आई.टी.आई., सिलाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, वाहन चालन आदि जिससे संस्था के बाहर जाने के बाद के जीवन के लिए वे तैयार हों सकें।
- ◆ **जीवन कौशल शिक्षा:** मानव जीवन के नैतिक आचार-विचार तथा समाज को बेहतर तरीके से अपनाना सीखें।
- ◆ **बाल पंचायत:** एक मंच मिलता है जहां वे निर्णय लेने में भागीदार बनते हैं और स्वामित्व तथा नागरिक के उत्तरदायित्व से परिचित होते हैं।
- ◆ **यातायात पुलिस सहायता कार्यक्रम (TPAP):** इसको द्वारा संचालित यह कार्यक्रम इसको और पुलिस विभाग के सम्मिलित प्रयास से चलाया जा रहा है। इसका मकसद कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों में बदलाव लाना है ताकि वे समाज के एक जिम्मेदार सदस्य बनें— कल तक जिन्होंने कानून तोड़ा वे आज कानून लागू करने वाले बनकर अपनी जीविका कमाएं।
- ◆ **संस्थागत रूपरेखा:** बैंगलुरु, मैसूर और कोचीन में बदलाव गृह (Trasitional Homes): कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सुधारात्मक सेवाएं देने और उनकी देखभाल तथा संरक्षण के लिए इन गृहों की स्थापना की गई।
- ◆ **पुनर्वास केन्द्र:** यह केन्द्र शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी दिलवाने आदि के द्वारा बच्चों के पूर्ण पुनर्वास के लिए समर्पित है।

बाल मित्र – उत्तर प्रदेश में बच्चों के दोस्त

मुददा / चुनौतियां: हाल ही में बाल गृहों के रहन-सहन की दयनीय स्थितियों और निम्न स्तर का मामला प्रकाश में आया है। बाल गृहों और सुविधाओं के मानकों को कायम रखने के लिए नियमित सहायता की आवश्यकता है। यह सहायता औपचारिक तंत्र के बाहर से भी उपर्जित की जा सकती है। नियम 78(3) कहता है कि बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थानों की स्थिति सुधारने ताकि वे बच्चों की मदद कर सकें, के लिए स्थानीय समुदाय और प्रतिष्ठानों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यद्यपि ऐसे व्यक्ति हैं जो मदद करना चाहते हैं और संस्थानों की मदद की जरूरत भी है किन्तु मदद देने वालों तथा संस्थानों के बीच की दूरी को सफलतापूर्वक पाटने की आवश्यकता है ताकि संस्थानों को बाहरी सहायता प्राप्त हो सके।



अभिनव कदम: उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी दूरी को पाटने के लिए व्यक्तियों को खोज निकाला ये बाल-मित्र, सेवा-निवृत्त या सेवारत अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षाविद्, छात्र, उद्योगपति, सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। इनकी विश्वसनीयता जांच जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की गई और इन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित पहचान-पत्र दिए गए हैं। इस अभिनव कदम से संस्थानों में, स्वास्थ्य कैम्प,

उपचार सत्र, व्यक्तिगत ट्यूशन, जीवन कौशल पर सत्र, समूह परामर्श सत्र और इस तरह की अनेक गतिविधियों या कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। दूसरे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कौशल विकास, व्यावहारिक बदलाव, नियमित विद्यालय में प्रवेश पाने, आर्थिक लाभ और एक पारदर्शी वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है।

अतिरिक्त अध्ययन और संदर्भ:

<http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=2&&sublinkid=1295&lid=1518>

<http://chandigarh.gov.in/pdf/dsw2016-conflict.pdf>

<https://www.cplibrary.in/uploads/Publication/Final%20JJ%20Handbook.pdf>

https://nalsa.gov.in/sites/default/files/document/Training_Module_Samvedan.pdf

<https://satyarthi.org.in/assets/pdf/FAQ's%20on%20JJB.pdf>

संलग्नक 1: माता-पिता/संरक्षक/उपयुक्त व्यक्ति द्वारा वचन बद्धता प्रारूप

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-३३००४/९९

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ६६०]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. ६६०]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. ८९८(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के व्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक प्रभावों का उल्लेख हो:



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ६६०।

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660।

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएँ.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
(ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वेच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
(iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
(v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
(vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकलांग वर्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

“गतिविहार” जे दिल्ली राजपत्र / नियमों की भेजनेवाले और गंगशाला गतिविहार 2015 / 2016 का 21 गतिविहार है।

- (ii) जावाहिलन राजस्तान वाय (जावाहिलन का अधिकार जाव सरकार) जावाहिलन, २०१० (२०१० वी ८) जावत्र ८,
- (iii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा ६८ के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (iv) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालव या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
- (v) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रह सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
- (vi) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-३३००४/९९

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938
No. 660] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का : धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 ;
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं.**— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम के समक्ष जाएगा और उस कार्यक्रम की निगरानी करें;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख ;
 - (vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता विकलांग वज्रों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करते इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(आ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
 (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं.**— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के व्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
 (vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने,



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

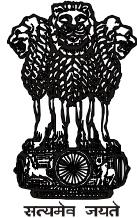
नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

स.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं.—** (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
 - (vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकलांग वर्ज्ञों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

ભાગ II—ખણ્ડ 3—ઉપ-ખણ્ડ (i)

I—Section 3—Sub-s

प्राधिकार से प्रकाशित

— 6601 —

ਦੱਸੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ 21 ਜੁਨ 2016 /ਪੰਜ 30 1038

No. 6601

नई दिल्ली, बुधवार, सप्तमी 21, 2016/भाद्र 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 सितम्बर 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए। निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है। अर्थात् :-

अध्याय = १

पांचिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2015
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
 - परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण व सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जाएगा।
 - “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने व अप्रेत है, जैसे उनके अन्यर्थ उन्हाँने का सम्पर्क तन्त्रों की सेवा प्राप्ती या सामाजिक या परिचर्गा गत की स्थिति



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
(ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
(iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
(v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
(vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ६६०]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर २१, २०१६/भाद्र ३०, १९३८

No. ६६०]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, २१ सितम्बर, २०१६

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
 - (vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, बृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकालांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

नामसूची

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे जन्म तिथि और सामाजिक पश्चभूमि का उल्लेख हो।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(आ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

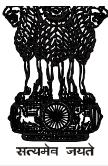
नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
 (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएँ.**— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
 - (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समझ जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं;
 - (iv) “बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
 - (v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;
 - (vi) “समुदाय सेवा” से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने,



भारत का राजपत्र



सत्यमेव जयते

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] No. 660]

नई दिल्ली, बधवार, सितम्बर 21, 2016/भादू 30, 1938

No. 660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदर्श नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

- 1.** संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(i) “अधिनियम” से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
(ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दस्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(iii) “मामला कार्यकर्ता” से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाएँ;
(iv) “बालदस्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली” से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो कि दस्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;
(v) “बालअध्ययन रिपोर्ट” से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;

रजिस्टरी सं. डी० एल०३-३३०४/९९ (M) मनुषय सत्त्वा संविधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालों द्वारा समाज की प्रदान की जनन बंसी सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का खबरकर्त्ता भी सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्चा गृह की सहायता करने, विकलांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेविया कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।



भारत का राजपत्र



The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से पकाशित

